न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री रवि कुमार (आर.ए.एस.)

मु.न.–......78......./2024

1. भंवर लाल पुत्र इन्द्रा राम जाति जाट निवासी अभयपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू।
2. मांगीलाल पुत्र इन्द्रा राम जाति जाट निवासी अभयपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू।

– प्रार्थीगण–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर। – अप्रार्थी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

दिनांक 08/05/24

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के नाम कृषि भूमि रोही मौजा अभयपुरा तहसील तारानगर के खसरा सं. 128/93 तादादी 3.1107 हेक्ट., खसरा सं. 129/102 तादादी 0.9231 हैक्ट. कुल तादादी 4.0338 हैक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थीगण के नाम क्रमशः भंवरलाल, मांगीराम पुत्रगण इन्द्रसिंह अंकित है जो गलत है, जबकि प्रार्थीगण के नाम क्रमशः भंवर लाल, मांगीलाल पुत्रगण इन्द्र राम सही हैं। प्रार्थीगण के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीगण के नाम क्रमशः भंवर लाल, मांगीलाल पुत्रगण इन्द्र राम है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थीगण को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थीगण जमाबन्दी में अपने नाम दुरूस्त करवाने चाहते है। जमाबन्दी में अपने नाम दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थीगण ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा अभयपुरा तहसील तारानगर के खसरा सं. 128/93 तादादी 3.1107 हेक्ट., खसरा सं. 129/102 तादादी 0.9231 हैक्ट. कुल तादादी 4.0338 हैक्ट. में प्रार्थीगण के नाम क्रमशः भंवर लाल, मांगीलाल पुत्रगण इन्द्र राम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दियें प्रार्थना पत्र में आई प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार तारानगर के अनुसार प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। अब प्रार्थीगण अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण अपने नाम क्रमशः भंवरलाल, मांगीराम पुत्रगण इन्द्रसिंह के स्थान पर भंवर लाल, मांगीलाल पुत्रगण इन्द्र राम करवाने चाहते है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम क्रमशः भंवरलाल, मांगीराम पुत्रगण इन्द्रसिंह ही दर्ज है। अतः प्रार्थीगण के नाम क्रमशः भंवरलाल, मांगीराम पुत्रगण इन्द्रसिंह के स्थान पर भंवर लाल, मांगीलाल पुत्रगण इन्द्र राम दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पहचान–पत्र से प्रार्थीगण के दस्तावेजीय नाम क्रमशः भंवर लाल, मांगीलाल पुत्रगण इन्द्र राम होना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा अभयपुरा तहसील तारानगर के खसरा सं. 128/93 तादादी 3.1107 हेक्ट., खसरा सं. 129/102 तादादी 0.9231 हैक्ट. कुल तादादी 4.0338 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि प्रार्थीगण के नाम क्रमशः **भंवरलाल, मांगीराम** पुत्रगण **इन्द्रसिंह** के स्थान पर **भंवर लाल, मांगीलाल** पुत्रगण **इन्द्र राम** अंकित किया जाए तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली मौजूद आज तैयार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ......08/05/24....... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

(रवि कुमार आर.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

नोट:- दिनांक 08/05/24 द्वारा निर्णय मे इन्द्र राम के स्थान पर इन्द्रा राम पढ़ा जाके आदेश पारित किये गये है।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)